कार्यालय :– नगर पालिक निगम बीरगांव जिला–रायपुर छत्तीसगढ

क्रमांक /   /स्वा.शाखा /16–17/निविदा/2016,   बीरगांव दिनांक   /   /2016

//मैनुवल पद्धति निविदा आमंत्रण सूचना //

नगर निगम बीरगांव सीमा क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 2016–17 में सड़क सफाई नाली, व मुक्कड़ तक कचरा परिवहन व सम्पूर्ण सफाई कार्य हेतु पृथक–पृथक जोन के लिये इच्छुक ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी.विभाग से पंजीकृत पात्र फर्मो/ठेकेदारों से मुहरबंद निविदाएं दो लिफाफा पद्धति में स्पीड पोस्ट/रजिस्ट्री डाक से आमंत्रित है । विवरण निम्नानुसार है :–

निविदा प्रपत्र हेतु आवेदन की अन्तिम तिथि	दिनांक 15/03/2016	अपरान्ह 3.00 बजे तक
निविदा प्रपत्र जारी करने की अन्तिम तिथि	दिनांक 17/03/2016	सायं 5.00 बजे तक
निविदा प्राप्त होने की अन्तिम तिथि	दिनांक 30/03/2016	अपरान्ह 3.00 बजे तक
प्राप्त निविदा खोलने की तिथि	दिनांक 30/03/2016	सायं 4.00 बजे

क्रं.	ज़ोन/कार्य क्षेत्र का विवरण	अगणित राशि (रू.लाख में)	अमानत राशि (एफ.डी.आर.में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य
1.	जोन क. 02 अछोली (वार्ड क. 06 से 08 तक)	13.60	13600.00	750.00
2.	जोन क. 04 उरकूरा (वार्ड क. 16 से 19 तक)	18.00	18000.00	750.00
3.	जोन क. 07 सरोरा (वार्ड क. 37 से 40 तक)	18.00	18000.00	750.00
4.	जोन क. 08 रायपुर बिलासपुर मुख्य मार्ग में भनपुरी चौक से छोकरा नाला तक सडक एवं दोनो तरफ की नालियां व ट्रान्सपोर्ट नगर	13.50	13500.00	750.00
5.	जोन क. 09 व्यास तालाब –बीरगांव–उरला सिंघानिया चौक तक मुख्य मार्ग व दोनो तरफ की मुख्य नालियां	9.00	9000.00	750.00
6.	जोन क. 10 सरोरा–उरला–बेन्द्री–व कन्हेरा नाला तक मुख्य मार्ग व दोनो तरफ की नालियां	9.00	9000.00	750.00
7.	नगर निगम क्षेत्र के अन्तर्गत निर्धारित स्थलों एवं श्रमिक कमी की आपूति अनुसार सफाई कार्य हेतु	9.00	9000.00	750.00

टीप :–01. सशर्त निविदा अमान्य होगी । निविदा हेतु प्रत्येक जोन के लिये पृथक–पृथक आवेदन प्रस्तुत करना होगा । निविदा की अन्य नियम/शर्ते, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति,दस्तावेज व अन्य जानकारी कार्यालयीन अवधि में (अवकाश के दिनों को छोडकर) तथा साथ ही यह जानकारी नगर पालिक निगम बीरगांव की वेबसाईट www.nagarnigambirgoan.com अथवा संचालनालय की वेबसाईट www.uad.cg.gov.in से भी डाउनलोड की जा सकती है ।

आयुक्त
नगर पालिक निगम बीरगांव

पृ. क. /6083/स्वा.शाखा /16–17/निविदा/2016,   बीरगांव दिनांक05/03/2016

प्रतिलिपि :–

01. निज सहायक, माननीय महापौर नगर पालिक निगम बीरगांव की ओर [redacted] सूचनार्थ ।
02. महाप्रबंधक, छ.ग. संवाद रायपुर की ओर एक बहुप्रसारित राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्र के आगामी साधारण अंक में एक दिवस न्यूनतम स्पेश में प्रकाशन हेतु सादर प्रेषित कृपया प्रकाशन उपरान्त प्रकाशित समाचार पत्र की दो प्रति एवं देयक, भुगतान हेतु उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे ।
03. कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) रायपुर/कार्यालय नगर पालिक निगम बीरगांव जिला रायपुर (छ.ग.) के नोटिस बोड में चस्पा हेतु ।
04. डाटा सेन्टर, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास नया रायपुर छ.ग. की ओर संचालनालय की वेबसाईट www.uad.cg.gov.in में अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

आयुक्त
नगर पालिक निगम बीरगांव
नगर पालिक निगम, बीरगांव

कार्यालय :– नगर पालिक निगम बीरगांव जिला रायपुर छत्तीसगढ

कमांक / 6081 / स्वा. विभाग / ठेका / न.पा.नि. / 2016, बीरगांव दिनांक 05 / 03 / 2016

सत्र 2016–17 हेतु नियम शर्ते व आगणित राशि निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

जोन क्रमांक .... क्षेत्र .... हेतु सफाई ठेका कार्य

01. सशर्त निविदा अमान्य होगी।

02. प्रत्येक जोन के लिये पृथक पृथक निविदा आमंत्रित की जावेगी जिसकी अमानत राशि केवल एफ.डी.आर. में ही स्वीकार होगी।

03. निविदा 12 माह के अवधि के लिए होगी। आवश्यकतानुसार कार्यावधि में वृद्धि की जा सकेगी, अगले वित्तीय वर्ष के लिए कार्यावधि से पूर्व भी आवश्यकतानुसार नई निविदा बुलायी जा सकती है ।

04. निविदा की सामान्य शर्ते , धरोहर राशि, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति ,निविदा दस्तावेज, व अन्य जानकारी कार्यालयीन अवधि में अवकाश के दिनों को छोडकर प्राप्त की जा सकती है ।

05 **निविदा में भाग लेने हेतु पात्रता :–** **(1.)** आयकर विभाग से पंजीयन व कम से कम 03 वर्ष का आयकर रिटर्न प्रमाण पत्र **(2.)** ई.पी.एफ. रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र **(3.)** .ई.एस.आई.सी.रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, **(4.)** यदि फर्म है तो रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र व पार्टनर डीड प्रमाण पत्र **(5.)** रू. 5.00लाख से 25.00 लाख तक के कार्यो के लिये :– रू. 3.00लाख का व रू. 25.00 लाख से 50.00 लाख तक के कार्यो के लिये रू.5.00लाख की राजस्व शोध क्षमता प्रमाण–पत्र अथवा बैंक साल्वेंसी / गारंटी , **(6.)** शासकीय विभागों में कार्य करने का कार्य अनुभव प्रमाण पत्र **(7.) ठेकेदार को श्रमिक लायसेंस** एवं ठेका नियमों के अन्तर्गत पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, पंजीयन नही होने पर एक माह के अवधि में पंजीयन कराना आवश्यक होगा नहीं कराने की दशा में प्रतिमाह कुल देय राशि में से 10 प्रतिशत राशि की कटौती किया जावेगा ।

इन सभी दस्तावेजों की नोटरी द्वारा सत्यापित प्रतियॉ प्रत्येक जोन के लिये पृथक–पृथक जमा करना अनिवार्य होगा । पात्रता का परीक्षण करने के उपरान्त पात्र होने की दशा में ही प्राईस ब्रिड खोली जावेगी ।

6. **अमानत राशिः–** अमानत राशि आयुक्त नगर पालिक निगम बीरगांव के नाम से भारतीय स्टेट बैंक अथवा अधिसूचित बैंकों से एफ.डी.आर के रूप में स्वीकार की जावेगी

7. **सील बंद निविदाऐं ही स्वीकार की जावेगी ।**

8. ठेकेदार को सफाई उपकरण जैसे झौड़ी, रांपा, तगाड़ी बेलचा, झाड़ु,पंजा एवं अन्य सुरक्षा उपकरण एम. एस.राड, आदि की व्यवस्था स्वयं करना होगा । इसके अतिरिक्त सफाई श्रमिकों को अन्य सूरक्षा उपकरण जैसे गमबूट, दस्ताने,मास्क आदि उपलब्ध कराना होगा । उपलब्ध नही कराये जाने की स्थिति में ठेकेदार के देयक से निर्धारित राशि की कटौती की जावेगी ।

9. ठेकेदार को शासन द्वारा निर्धारित कलेक्टर दर पर श्रमिकों को न्यूनतम पारिश्रमिक, ई.पी.एफ., ई.एस. आई.सी. का भुगतान प्रतिमाह अनिवार्य रूप से किया जाना होगा । सर्विस टैक्स (लागू होने पर) संबंधित विभाग को भुगतान किया जावेगा । निविदाकार श्रमिकों की न्यूनतम पारिश्रमिक (कलेक्टर दर) पर लाभांश सेवा शुल्क प्रतिशत दर पर आमंत्रित है ।

10 सफाई कार्य में लगे श्रमिकों की उपस्थिति बायोमैटिक से कराना होगा श्रमिकों के कार्य का मानिटरिंग हेतु जी.पी.एस. सिस्टम लागू किया जा सकता है ।

13. ठेकेदार को अपने कार्य क्षेत्र में प्रतिदिवस निर्धारित संख्या व समयावधि में श्रमिक रखना अनिवार्य होगा । जोन में सफाई श्रमिक की संख्या 80 प्रतिशत से कम होने की दशा में निगम द्वारा अतिरिक्त श्रमिकों की व्यवस्था किया जाता है तो ऐसी स्थिति में निगम को होने वाले व्यय की राशि का प्रतिदिन के हिसाब से चार गुणा राशि की वसूली ठेकेदार को भुगतान किये जाने वाले देयक से काटी जावेगी ।

14 सफाई प्रतिदिन नियमित रूप से करना आवश्यक होगा। सफाई कराने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।

ठेकेदार स्वयं के द्वारा सफाई ठेका प्राप्त कर कार्य करेंगे किसी अन्य व्यक्ति को अतिरिक्त ठेका उपलब्ध नही कराया जावेगा अन्य व्यक्ति को पेटी ठेका दिया जाना पाया जाता है तो तत्काल ठेका समाप्ति की कार्यवाही की जावेगी ।

16 छ.ग. शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ–5/190/18/05 रायपुर दिनांक 19/01/2012 के अनुसार :– ''सफल निविदादाता से अनुबंध के समय अतिरिक्त परफार्मेंस राशि जमा कराई जावेगी, निविदा के दरों में काफी कमी होने पर जैसे निविदादाता की अनुमानित लागत से 10 प्रतिशत से कम निविदा दर होने पर सफल निविदादाता को निविदा दर एवं अनुमानित लागत के 90 प्रतिशत के अंतर की राशि के समतुल्य परफार्मेंस गारंटी के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंक/छ.ग. शासन द्वारा अधिसूचित बैंक का एफ.डी.आर., पोस्ट ऑफिस टाईम डिपॉजिट, एन.एस.सी. जो कि संबंधित निकाय के आयुक्त के नाम से देय होगा, जमा कराना अनिवार्य होगा । उपरोक्त राशि को जमा न कराने की दशा में निविदा निरस्त कर दी जावेगी।''

17 निविदाकर्ता को स्वीकृति की सूचना प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर नॉन – ज्यूडिशियल स्टांप में अनुबंध करना होगा।

18 ठेकेदार द्वारा कार्य में रखे गये श्रमिकों का बैंक में खाता होना अनिवार्य होगा अनुबंध के पश्चात् ठेकेदार अपने द्वारा नियुक्त कर्मियों से संबंधित नाम पिता का नाम पूरा पता मोबाईल नम्बर एवं श्रमिकों के बैंक में खोले गये खाता सबंधी जानकारी निकाय को लिखित रूप में उपलब्ध कराना होगा।

19 अनुबंधकर्ता अनुबंध अवधि तक कार्य नहीं छोड़ सकेगा। किसी कारण से सफाई कार्य ठेकेदार को बंद करना पड़े तो इसकी लिखित सूचना नगर पालिक निगम को 30 दिवस पूर्व देना होगा। ठेका छोड़ने पर न्यूनतम रू. 50000.00 (पचास हजार रू.) की पेनाल्टी की वसूली आर.आर.सी.जारी कर बकाया राजस्व की भांति की जावेगी एवं जमा अमानत राशि व सुरक्षा निधि राजसात कर फर्म को ब्लैक लिस्ट कर दिया जावेगा । जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी ठेकेदार की होगी।

20 कोई भी ऐसा फर्म/ठेकेदार व उनके डीड पार्टनर निविदा हेतु पात्र नही होगा एवं जिसका निकाय से संबंधित पूर्व में कोई भी बकाया शेष हो या पूर्व के वर्षो में कार्य संतुष्टि पूर्व नही रहा हो

21 निविदा समाप्ति पर कार्यरत मजदूरों को पुनः कार्य पर रखने की की जवाबदारी निकाय की नहीं होगी।

22 ठेकेदार का कोई भी सफाई श्रमिक के द्वारा मारपीट गैर कानूनी कार्य इत्यादि करने पर उसकी सम्पूर्ण जवाबदारी ठेकेदार की स्वयं की होगी।

23 निकाय द्वारा प्रति वार्ड आवश्यकतानुसार व्हील बेरो व डोर टू डोर कचरा कलेक्शन हेतु बैटरी चलित आटो एवं सायकल रिक्शा ठेकेदारों को उपलब्ध कराई जावेगी। जिसका रिपेरिंग व मेंटेनेंस संबंधित ठेकेदार को करना होगा। व्हील बेरो से मुक्कड़ तक कचरा परिवहन व सायकल रिक्शा से डोर–टू–डोर कचरे का संग्रहण कर मुक्कड़ तक कचरा परिवहन किया जाना अनिवार्य होगा। ठेकेदार द्वारा उक्त सामाग्री का मरम्मत संधारण कराये जाने की अवधि में निकाय द्वारा उक्त सामाग्री की अतिरिक्त व्यवस्था की जाती है तो निरीक्षक व निकाय के विभागीय अधिकृत अधिकारी/विभागीय प्रभारी सदस्य के सत्यापन अनुसार उक्त अवधि का किराया की दुगुनी राशि ठेकेदार के देयक से कटौती की जावेगी । ठेका छोड़ने/ठेका निरस्त होने/ठेका समयावधि पूर्ण होने पर व्हील बेरो व सायकल रिक्शा तथा आवश्यकतानुसार प्रदाय किये गये बैटरी चलित आटो सही सलामत निकाय को वापस करना होगा। अन्यथा ठेकेदार के सूरक्षा व अमानत राशि से सामाग्री की राशि की कटौती की जावेगी ।

24 कचरा को निकाय द्वारा निर्धारित स्थल मुक्कड़ पर इकट्ठा करना होगा। वार्ड से मुक्कड़ तक कचरा नहीं उठाने पर 1000/– रूपये प्रति स्थल प्रतिदिन तथा अन्यत्र कचरा डालने पर प्रति स्थल रू. 200/– का अर्थदंड वसूली किया जावेगा। मुक्कड़ से निर्धारित ट्रेंचिंग ग्राउण्ड तक कचरे का परिवहन निकाय में उपलब्ध संसाधनों से अथवा अलग से ठेके के माध्यम से किया जावेगा।

25 वार्डो में स्थित नालियों, सड़कों, मैदानों, दैनिक साप्ताहिक बाजार व मीट मार्केट, पेशाबघरों, सार्वजनिक शौचालय (जो निकाय द्वारा संचालित हो) की सफाई, नालियों एवं सड़कों आदि से निकले कचरों अवशिष्ठों को व्हील बैरो के माध्यम से एकत्रित कर निर्धारित मुक्कड़ में निपटान करना अनिवार्य होगा।

26 निकाय क्षेत्र में स्थित दैनिक साप्ताहिक बाजार के एक दिन पूर्व व पश्चात बाजारों की सफाई तथा विशिष्टजनों के आगमन पर सभा स्थलों की विशेष सफाई कराना शामिल होगा।

सफाई ठीक से नहीं करने/मुक्कड़ तक कचरा का प्राथमिक परिवहन प्रतिदिन नहीं करने/आधा अधूरा परिवहन करने की दशा में भुगतान की राशि में कटौती की जावेगी अथवा कार्य व्यवस्था में सुधार नहीं होने पर ठेका निरस्त किया जा सकेगा ।

28 किसी भी स्थिति में हड़ताल धरना की स्थिति में उत्पन्न होने पर अनुबंध निरस्त कर अमानत राशि व रोकी गई सूरक्षा राशि राजसात करने व फर्म को ब्लेक लिस्ट करने की कार्यवाही की जावेगी। तथा आवश्यक सेवा उझलन नियम एस्मा के अन्तर्गत भी कार्यवाही की जा सकेगी । जिसकी समस्त जवाबदारी ठेकेदार की होगी।

29 ठेकेदार को कार्य में रखे गये श्रमिकों के लिये पृथक से आवश्यक निर्देश व इस सबंध में जारी शर्तो के अनुरूप निर्देश से अवगत कराना होगा । कार्य अवधि में निरीक्षण के दौरान श्रमिक अनुपस्थित पाये जाने व कर्तब्य में लापरवाही बरतने पर प्राधिकृत अधिकारी को अनुपस्थित किये जाने का अधिकार होगा

30 किसी भी कार्य दिवस में सफाई कार्य बंद नहीं रहेगी। किसी भी कर्मी की छुट्टी अथवा वीकली ऑफ अथवा बीमार होने की स्थिति में एजेंसी को तत्काल अतिरिक्त श्रमिक की वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। अन्यथा नियम शर्त कंडिका 12 के अन्तर्गत कार्यवाही करने का अधिकार निगम को होगा ।

31 सफाई कार्य का निरीक्षण किसी भी समय नगर पालिक निगम के पदाधिकारीगण/आयुक्त एवं सदस्यगण तथा स्वच्छता निरीक्षक/सफाई दरोगा/नगर पालिक निगम के अधिकृत कर्मी/सफाई सुपरवाईजर द्वारा किया जायेगा।

32 श्रमिकों के कार्य एवं व्यवहार संतोषजनक नहीं होने पर ऐसे श्रमिकों को तत्काल हटाकर दूसरा श्रमिक लगाना होगा।

33 सफाई कार्य संतोषप्रद न करने/लापरवाही बरते जाने पर भुगतान राशि में कटौती/जुर्माना करने का अधिकार/ठेका निरस्त करने की कार्यवाही का अधिकार आयुक्त के पास सुरक्षित रहेगा तथा जमा अमानत राशि राजसात करने की कार्यवाही व पुनः ठेके पर देने की कार्यवाही की जा सकेगी, इस पर ठेकेदार को आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा।

34 श्रमिकों की ठेका अवधि में नियुक्ति, पारिश्रमिक ई.पी.एफ, ई.एस.आई सी एवं अन्य व्यवस्थाओं के लिये नगर पालिक निगम, छत्तीसगढ़ शासन एवं भारत सरकार द्वारा जारी किये गये समस्त नियमों शर्तों वैधानिक कानूनों को पालन करने का पूर्ण दायित्व ठेकेदार का होगा।

35 शिकायत पंजी, नगर पालिक निगम द्वारा निर्धारित प्रारूप में तैयार की जावेगी जिस आधार पर प्राथमिकता से सफाई कार्य करना होगा।

36 अमानत राशि/सुरक्षा निधि की वापसी अनुबंध अवधि पूर्ण होने पर अदेय प्रमाण पत्र जारी करने के पश्चात् किया जावेगा।

37 सड़क सफाई कार्य के साथ निकाय क्षेत्र में निकाय द्वारा प्रदाय कीटनाशक दवाई का छिड़काव भी श्रमिकों द्वारा समय –समय पर आदेशानुसार किया जाना होगा।

38 अनुबंधकर्ता के द्वारा सफाई कार्य पर रखे गये सफाई कर्मचारी अनुबंधकर्ता के कर्मचारी होंगे तथा वे इस आधार पर कि उन्होंने नगर पालिक निगम, बीरगांव में सफाई कार्य किया है, भविष्य में कभी भी नगर पालिक सेवा में रखे जाने के अधिकारी नहीं होंगे और न ही उपरोक्त आधार पर इसका मांग कर सकेंगे।

39 निविदाकर्ता लिफाफा “ए” में अपनी पात्रता संबंधी दस्तावेज की हार्ड कापी प्रस्तुत करेंगे। अमानत राशि का एफ.डी.आर. लिफाफा “बी” में भरकर प्रस्तुत करेंगे। एवं लिफाफा ''सी'' में प्राईस ब्रिड प्रस्तुत करेंगे । इन तीन लिफाफों को एक साथ बड़े लिफाफे में भरकर आयुक्त, नगर पालिक निगम,बीरगांव जिला रायपुर छ.ग. के नाम पर निर्धारित तिथि एवं समय में स्पीडपोस्ट/रजिस्टर्ड डॉक के माध्यम से नगर पालिक निगम में जमा करना होगा। पात्रता संबंधी दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत पात्र पाये जाने की स्थिति में अमानत राशि का लिफाफा खोला जावेगा। पर्याप्त राशि का एफ.डी.आर. संलग्न होने पर ही प्राईस बिड खोली जावेगी। अन्यथा निरस्त कर दिया जावेगा।

40 प्राप्त निविदा दर हेतु निगोशिएशन का अधिकार निकाय के पास सुरक्षित रहेगा।

41 छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, दाउ कल्याण सिंह भवन, रायपुर के पत्र कं. 3122/न.प्र./18/2012/2974/रायपुर, दिनांक 10.04.2012 अनुसार ठेका पद्धति पर कार्यरत सफाई कामगारों का पहचान पत्र जारी करना होगा एवं उनके वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से ही किया जाना होगा।

ठेकेदार एवं उनके प्रतिनिधि, सुपरवाईजर को प्रत्येक कार्य अवधि में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा सफाई कार्य में कार्यरत श्रमिकों को डेस पहचान कोड उपलब्ध कराना होगा । ऐसा नही करने पर निर्धारित राशि की गणना कर ठेकेदार के देयक से कटौती कर श्रमिकों को डेस कोड उपलब्ध कराया जा सकेगा ।

43 ठेकेदार को आबंटित क्षेत्र की सफाई संबंधी निदान 1100 की शिकायत का निराकरण शीघ्र करना होगा । एवं सबंधित से जानकारी लिया जाकर कार्यालय को सूचित करने का दायित्व ठेकेदार का होगा ।

44 सीवर लाईन सफाई के पूर्व एवं बाद में चेम्बर कव्हर को व्यवस्थित करना/खोलना/बंद करना अनिवार्य होगा ।

45 ठेकेदार द्वारा अपने कार्य क्षेत्रान्तर्गत मृत, लावारिस जानवर, कुत्ता, बिल्ली, गाय आदि का शिकायत प्राप्त होने पर शीघ्र उठाना होगा जिसका पृथक से कोई भी भुगतान देय नही होगा ।

46 हड़ताल किसी भी परिस्थिति में मान्य नही होगी हड़ताल करने पर आवश्यक सेवा नियमों के तहत एस्मा लगाकर कार्यवाही करने व तत्काल ठेका निरस्त कर जमा एफडीआर, एसडी राजसात की कार्यवाही की जाकर अन्य समान कार्य कर रहे ठेकेदार को कार्य सौपते हुऐ भुगतान की गई राशि से बड़ी हुई राशि के अन्तर राशि की वसूली सम्बंधित मूल ठेकेदार से होने वाले समस्त व्यय बकाया राजस्व की भांति वसूली जा सकेगी ।

47 आपात परिस्थितियों में नगर निगम द्वारा आवश्यकतानुसार सफाई कार्य में लगे श्रमिकों की सेवाऐं सफाई संबंधी अन्य कार्य में लगाये जाने का अधिकार निगम को होगा ।

48 सड़क नाली, एवं मुक्कड़ से कचरा अपशिष्ट उठाने के पश्चात सफाई ठेकेदार को अपने निर्देशानुसार चूना एवं ब्लीचिंग पावडर का छिड़काव करना अनिवार्य होगा ।

49 ठेकेदार को अपने कार्य क्षेत्र के नालियों की नियमित सफाई कराकर निकाले गये अवशिष्ट का उचित निपटान तत्काल कराया जाना आवश्यक होगा ।

50 ठेकेदार को मासिक भुगतान/कटौतियां निम्नानुसार किया जाएगा –

(1) शासन द्वारा निर्धारित दर पर श्रमिकों को न्यूनतम पारिश्रमिक कलेक्टर दर, ई.पी.एफ, ई.एस.आई.सी. का भुगतान किया जायेगा। सर्विस टैक्स (लागू होने पर) संबंधित विभाग को भुगतान किया जावेगा। श्रमिकों की न्यूनतम पारिश्रमिक (कलेक्टर दर) पर प्रतिशत दर पर प्रत्येक निविदा समूह में प्राप्त न्यूनतम लाभांश (सेवा शुल्क) ठेकेदार को भुगतान की जावेगी, भुगतान हेतु आयुक्त Escrow माध्यम से भुगतान हेतु निर्णय ले सकता है जिसे मानना ठेकेदार के लिये बंधनकारी होगा ।

(2) ठेकेदार द्वारा श्रमिकों की पारिश्रमिक व अन्य देय राशियों यथा ई.पी.एफ., ई.एस.आई. व सर्विस टेक्स आदि का प्रतिमाह अग्रिम भुगतान किये जाने पर तत्संबंधी चालान/व्हाउचर आदि निकाय में जमा करने के उपरांत स्वीकृत निविदा दर अनुसार कार्य संतोषप्रद पाये जाने की स्थिति में ठेकेदार को भुगतान किया जावेगा। (3) निकाय की ओर से सफाई सुपरवाईजर द्वारा सफाई कार्य में उपस्थित श्रमिकों की वार्डवार प्रतिदिन हाजिरी ली जावेगी। जिसका सत्यापन सफाई सुपरवाईजर, सफाई दरोगा व स्वच्छता निरीक्षक द्वारा की जावेगी। श्रमिकों की उपस्थिति के आधार पर भुगतान की कार्यवाही की जावेगी। निर्धारित संख्या से 80प्रतिशत से कम संख्या में श्रमिक लगाए जाने पर श्रमिकों के पारिश्रमिक का चार गुणा राशि प्रति श्रमिक प्रतिदिन की दर से आर्थिक दण्ड ली जावेगी जो कि मासिक भुगतान के समय कुल देयक में से काटी जावेगी।

(3) प्रत्येक माह की 5 तारीख तक वार्ड सुपरवाईजर/स्वच्छता निरीक्षक/स्वास्थ्य अधिकारी से अनुशंसा करवाकर देयक निकाय में जमा करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।

(5) जनप्रतिनिधियों व आम नागरिकों से प्राप्त शिकायतों का निराकरण के लिए स्वच्छता निरीक्षक व सभापति/अध्यक्ष स्वास्थ्य शाखा का निर्णय अंतिम होगा।

(6) कुल देयक में लाभांश राशि का 10 प्रतिशत सुरक्षा निधि के रूप में रोकी जावेगी जो कि अनुबंध अवधि पूर्ण होने पर अदेय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरांत ही वापस की जावेगी।

(7) देयक से शासन निर्देशानुसार आयकर व अन्य कटौतियां जो लागू होंगी काटी जावेगी।

51. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के तहत सफाई व्यवस्था हेतु शासन स्तर से यदि कोई एजेंसी नियुक्त की जाती है या आयुक्त के सफाई व्यवस्था से असंतुष्ट होने की स्थिति में कभी भी कार्य बंद कराने (सफाई ठेका निरस्त करने) के लिए स्वतंत्र होगा।

ठेकेदार सप्ताह में एक दिन वार्ड की समस्त नालियों एवं गड़ढों में जला हुआ मोबिल आयल तथा केरोसिन के मिश्रण का छिड़काव करवाकर सफाई सुपरवाईजर, सफाई दरोगा व स्वच्छता निरीक्षक व आयुक्त द्वारा नियुक्त कर्मचारी से प्रमाणीकरण करवाएगा। प्रमाणीकरण के अभाव में 2000/–रूपये मासिक की कटौती की जावेगी।

53 सड़क व नाली तथा मुक्कड़ से कचरा उठाने के पश्चात् सफाई ठेकेदार द्वारा आवश्यकतानुसार चूना एवं ब्लीचिंग का छिड़काव करना होगा अन्यथा 100/– रूपये प्रति स्थल की कटौती की जावेगी।

54 निम्नानुसार अर्थदंड देयक से काटी जाएगी :–

(1) वार्ड से मुक्कड़ तक कचरा नहीं उठाने पर 1000/– रूपये प्रति स्थल प्रतिदिन।
(2) मुक्कड़ के अतिरिक्त अन्यत्र कचरा डालने पर 500/– रूपये प्रति स्थल।
(3) चूना एवं ब्लीचिंग का छिड़काव नहीं करने पर 100/– रूपये प्रति स्थल कटौती।
(4)जला हुआ मोबिल आयल तथा केरोसिन के मिश्रण का छिड़काव नहीं करने पर 500/– रूपये मासिक कटौती।
(5) नाली साफ न होने पर 500/– रूपये प्रतिदिन।

55 **प्रतिदिन की कार्यावधि :–** सफाई श्रमिकों से प्रतिदिन प्रातः 06:00 से अपरान्ह 2:00 बजे तक सफाई कार्य कराना अनिवार्य होगा।

56 **घर से निकलने वाले घरेलु कचरे का एकत्रीकरण (डोर टू डोर कलेक्शन) प्रतिदिन करना अनिवार्य होगा , इसके साथ ही साथ सडक पर फैली हुई प्लास्टिक पन्नी एकत्र करना अनिवार्य होगा । ऐसा नही करने पर अर्थदण्ड के साथ–साथ उस कार्य दिवस के सफाई कार्य का भुगतान भी नही किया जावेगा ।**

57 किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति में आयुक्त, नगर पालिक निगम बीरगांव का निर्णय अंतिम होगा।

58 **उपरोक्त शर्त कमांक 01 से 57 तक के शर्तो का पालन न करने की स्थिति में व अन्य निर्देशों का उल्लघन पाये जाने पर ठेका निरस्त करने का का पूर्ण अधिकार आयुक्त नगर पालिक निगम बीरगांव को होगा एवं ठेका निरस्त की स्थिति में निगम को होने वाली किसी प्रकार की आर्थिक हानि के लिये ठेकेदार उत्तरदायी होगा ।**

वर्ष 2016–17 के लिए सफाई व्यवस्था हेतु निकाय को जोनवार विभाजित किया गया है जिसका वार्ड की संख्या व जोनवार श्रमिकों की संख्या एवं अगणित विवरण है :–

कं.	जोन कमांक	जोन का नाम	वार्ड की संख्या	वार्ड हेतु श्रमिक संख्या	अगणित राशि (रू. लाख में)
01	जोन कमांक–02	अछोली (वार्ड क. –06 से 08 तक)	03 वार्ड	12	13.60
02	जोन कमांक–04	उरकूरा (वार्ड क.– 16 से 19 तक)	04 वार्ड	16	18.00
03	जोन कमांक–07	सरोरा .– (वार्ड क.–37 से 40 तक)	04 वार्ड	16	18.00
04	जोन कमांक–08	रायपुर बिलासपुर मुख्य मार्ग में भनपुरी चौक से छोकरा नाला तक सडक एवं दोनो तरफ नालियां व ट्रान्सपोर्ट नगर	मुख्य मार्ग	12	13.50
05	जोन कमांक–09	व्यास तालाब–बीरगांव–उरला सिंधानियां चौक तक मुख्य मार्ग व दोनो तरफ की मुख्य नालियां	मुख्य मार्ग	08	09.00
06	जोन कमांक–10	सरोरा–उरला–बेन्द्री –व कनेरा नाला तक मुख्य मार्ग व दोनो तरफ की मुख्य नालियां	मुख्य मार्ग	08	09.00
07	सुरक्षित दल	नगर निगम क्षेत्र के अन्तर्गत निर्धारित स्थलों एवं श्रमिक कमी होने पर आपूर्ति सहित सफाई कार्य हेतु	अतिरिक्त	08	09.00

स्वच्छता निरीक्षक
नगर पालिक निगम बीरगांव

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम बीरगांव

आयुक्त
नगर पालिक निगम बीरगांव

कार्यालय नगर पालिक निगम बीरगांव जिला – रायपुर (छ.ग.)

जोनवार आगणित राशि व अमानत राशि का विवरण :–

S.No.	Name Of Work	Estimated Cost in Lacs Rs.	EMD Deposit Rs.
01	Drain Cleaning & Road Sweeping Work & Transportation of Solid Waste up to Mukkad at Zone No. 02 (Word 06To08) Accholi.	13.60	13600.00
02	Drain Cleaning & Road Sweeping Work & Transportation of Solid Waste up to Mukkad at Zone No. 04 (Word 16To19) Urkura.	18.00	18000.00
03	Drain Cleaning & Road Sweeping Work & Transportation of Solid Waste up to Mukkad at Zone No. 07 (Word 37To40) Sarora.	18.00	18000.00
04	Drain Cleaning & Road Sweeping Work & Transportation of Solid Waste up to Mukkad at Zone No. 08 (Raipur_Bilaspur NH From Bhanpuri Chowk to Chhokra Nala).	13.50	13500.00
05	Drain Cleaning & Road Sweeping Work & Transportation of Solid Waste up to Mukkad at Zone No. 09 (Vyas Talab_Birgaon_Urla Main Road_Up to Singhania Chowk).	9.00	9000.00
06	Drain Cleaning & Road Sweeping Work & Transportation of Solid Waste up to Mukkad at Zone No. 10 (Sarora_Urla_Bendri Main Road).	9.00	9000.00
07	Corporation fix Area labor provide and Sweeping work	9.00	9000.00

स्वच्छता निरीक्षक
नगर पालिक निगम बीरगांव

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम बीरगांव

आयुक्त
नगर पालिक निगम बीरगांव